

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 747 /2013-2014 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा) सेवा वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता-कला के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री किशन सिंह नेगी	रा०इ०का० नरेन्द्रनगर टिहरी	रा०इ०का० सिलारी टिहरी	रिक्त पद के प्रति
2	श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान	रा०इ०का० गौचर चमोली	रा०इ०का० बैरागना चमोली	रिक्त पद के प्रति
3	श्री राम कृष्ण	रा०इ०का० बांजबगड, चमोली	रा०इ०का० खुमेरा रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिकाओं को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियां मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 1486/एस०एस०/ 2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं० 1487/एस०एस०/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।

(एन०के० बहुगुणा)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

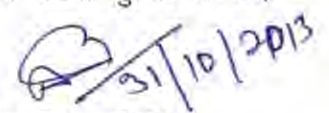
पू० सं० सेवा-2/अराज०/59170-59194 /2013-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (3) निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना निदेशालय को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

- (10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निम्नांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें—
- (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका जिस विषय में प्रवक्ता पद पर पदोन्नत हुए हैं, उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित अध्यापक/अध्यापिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई अध्यापक/अध्यापिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति भिन्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न करावें।
- (च) प्रवक्ता हिन्दी के पद पर पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका संस्कृत विषय से स्नातक उपाधि धारक हैं।
- (छ) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित अध्यापक/अध्यापिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अंकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक की सेवा पुस्तिका से अध्यापक के संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित अध्यापक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
- (ज) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भाँति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नति के फलस्वरूप दी गयी तैनाती वाले विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।



 31/10/2013

(ए0डी0 बलोदी)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।